[Mr. Dy. Speaker]

plete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st of March, 1971, in respect of 'Capital outlay on Posts and Telegraphs (Not met from Revenues)'."

DEMAND No. 137—OTHER CAPITAL OUTLAY OF THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

"That a sum not exceeding Rs. 1,53, 17,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1971, in respect of 'Other Capital outlay of the Department of Communications'."

DEMAND No. 98—DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

'That a sum not exceeding Rs.10,72,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1971, in respect of 'Department of Parliamentary Affairs'."

DEMAND No. 101—PLANNING COMMISSION

'That a sum not exceeding Rs.1,26, 41,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1971, in respect of' Planning Commission'."

DEMAND No. 102—LOK SABHA

"That a sum not exceeding Rs. 2,28, 39,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1971, in respect of 'Lok Sabha'."

DEMAND No. 103—RAJYA SABHA

'That a sum not exceeding Rs.90,89,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1971, in respect of 'Rajya Sabha'."

DEMAND No. 104—SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT

'That a sum not exceeding Rs.2,75,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1971, in respect of 'Secretariat of the Vice President.'."

18.59 hrs.

APPROPRIATION (No. 2) BILL* 1970

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1970-71.

19.00 hrs.

Mr. Deputy Speaker : The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1970-71."

The motion was adopted.

Shri P. C. Sethi : Sir, I introduce+ the Bill.

Sir, I beg to move+ :

> "That the Bill to authoise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1970-71, be taken into consideration."

Mr. Deputy Speaker : Mr. Shiva Chandra Jha.

*Published in Gazette of India Extraordinary Part II, section 2, dated April 30, 1970.

+Introduced/moved with the recommendation of the President.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : इसको कल लिया जाए।

Mr. Deputy-Speaker : He has said that he wanted to make certain points on the demands guillotined. I have given him permission to speak for five minutes.

श्री कंवर लाल गुप्त : कब तक यह चलेगा ?

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी): उपाध्यक्ष महोदय, 16325 करोड़ 76 लाख और 4 हजार रुपये की रकम की मंजूरी हम देने जा रहे हैं। इस वक्त यह बड़ा लाजिमी हो जाता है कि हम कुछ उन बातों की ओर इस सदन का ध्यान दिलायें जिन बातों पर चर्चा नहीं हुई है, जिन मंत्रालयों की माँगों पर चर्चा नहीं हुई। उन मंत्रालयों की खर्च की माँगों को हमने पास कर दिया है। ऐसी अवस्था में हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम उन मंत्रालयों के सम्बन्ध में कुछ जरूरी बातों की ओर सदन का ध्यान दिलायें।

पहला विभाग जिस के मुताल्लिक मैं कहना चाहता हूं वह प्लानिंग कमिशन है। आपको याद होगा कि पिछले साल प्लान पर बड़ी बहस हुई थी। इस साल समय की कमी की वजह से हम बहस नहीं कर सके। लेकिन यह एक अहम मंत्रालय है। कुछ पता नहीं चल रहा है कि उस में क्या हो रहा है। कहने के लिए तो चौथी पंच-वर्षीय योजना का दूसरा साल जा रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता है कि उस योजना का आखिरी रूप क्या होगा। वह योजना इस सत्र के आखिर तक आयेगी, इस में भी शक मालूम होता है। इससे पहले कि हम प्लानिंग कमीशन के लिए 1,51,69,000 रुपये की रकम को मन्जूर करें, प्रधान मंत्री जी यह बतायें कि चौथी पंच-वर्षीय योजना कब तक आने वाली है, वह आयेगी भी या नहीं और उस का आखिरी रूप क्या होगा।

एक और मंत्रालय इनफर्मेशन तथा ब्राडकास्टिंग का है, जिसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं की गई है। इस मंत्रालय के अन्तर्गत प्रेस है, जो समाज का एक बड़ा हथियार है। प्रेस के मुताल्लिक न जाने कितनी दफा यह कहा जाता है कि प्रेस स्वतंत्र होना चाहिए, उसका रूप यह होना चाहिए, वह होना चाहिए। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सरकार के पास स्वतंत्र प्रेस का कोई नक्शा नहीं है। फ्रीडम आफ प्रेस के सम्बन्ध में कई दफा कमीशन बिठाये गये, लेकिन सरकार ने उनकी रीकमेंडेशन्ज को लागू नहीं किया। आज संसार बहुत छोटा हो गया है, देशों की दूरी बहुत कम हो गई है और इसलिए एक मुल्क का असर दूसरे मुल्क पर होता है। इस स्थिति में प्रेस का महत्व बहुत बढ़ जाता है। मैं चाहूंगा कि इनफर्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग मंत्रालय फ्रीडम आफ दि प्रेस की तफसील में जाने के लिए एक और प्रेस कमीशन मुकर्रर करे। दूसरे मुल्कों में ऐसे कमीशन नियुक्त किये गये हैं। अमरीका में हचिन्ज कमीशन और इंगलैंड में रायल कमीशन नियुक्त किया गया था। इस बात की जाँच की जानी चाहिए कि प्रेस उद्योग में मानोपली और एकाधिपत्य के कारण प्रेस की स्वतन्त्रता को कहाँ तक धक्का लगा है और नियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्रेस कहाँ तक स्वतंत्र रह सकता है। बिल्ल इसके कि हम इस मंत्रालय की माँगों को पारित करें, उसका यह फर्ज है कि वह इन बातों पर रौशनी डाले।

जहाँ तक वर्क्स, हाउसिंग एंड अरबन डेवेलपमेन्ट मंत्रालय का सम्बन्ध है, दिल्ली में हमारी आँखों के सामने, अंडर दि नोज आफ दि पालियामेन्ट, कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में कई प्रकार की धाँधलियाँ चल रही हैं। अखबारों में आता है कि एम० पीज० के लिए बड़े-बड़े फ्लैट बनवाये जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एसे कामों में पचास परसेंट पैसा बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन इस मंत्रालय की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। साउथ ऐवेन्यू और नार्थ ऐवेन्यु में कंस्ट्रक्शन में जो धांधलियाँ होती हैं, उनकी तरफ मैंने मंत्री महोदय का ध्यान कई दफा खींचा है, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि यह कांस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं उसमें कितना कांट्रैक्टर खाता है, कितना इनको मिलता है, मंत्रियों को भी मिलता है या नहीं मिलता है, किस किस को मिलता है इन सभी बातों की जाँच के लिए एक कमेटी बनाएं जो इस प्रकार की यह जितनी धांधलियाँ होती हैं उनकी जाँच करे।

चौथी और आखीरी बात जिस पर चर्चा नहीं हुई वह एटामिक एनर्जी है। इसके मुताल्लिक बहुत सी बातें आध घंटे की चर्चा और डिफेंस की डिमांड तथा और दूसरे रूपों में चर्चा के दौरान आई। लेकिन जो परिस्थिति अभी हमारे

[श्री शिव चन्द्र झा]

सामने है इसमें मैं जानना चाहता हूं प्रधान मंत्री जी से कि एटामिक नीति जो हमारी है, जो घटनाएं सामने भ्रा रही हैं, उस संदर्भ में क्या सरकार कुछ निश्चय करने जा रही है या नहीं। खास कर के जो उसके भ्रन्दर में होता है वह तो कुछ पता नहीं। पहली बात तो जो नजर-भ्रंदाजी की जा रही है इस डिपार्टमेन्ट के लिए वह मुनासिब नहीं है। एटामिक एनर्जी का जब भी सवाल भ्राता है उप मंत्री को खड़ा कर दिया जाता है कि भ्राप बोलो। उस दिन स्पेस की बात हुई तो प्रधान मंत्री जी मौजूद नहीं थीं। इतना भ्रहम सवाल था, चीन ने सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ा, सारा मुल्क जानना चाहता था कि हिन्दुस्तान का क्या री-ऐक्शन है, प्रधान मंत्री जी भ्राती हैं, लेकिन उपमंत्री को खड़ा कर दिया कि तुम इसका मुकाबिला करो। इस तरह से यह हमारा जो मुहकमा है, इसकी नजर भ्रन्दाजी की जाती है। इन सब बातों की सफाई हो तब हम इन डिमांड्स को पास करें।

Mr. Deputy-Speaker : The question is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1970-71, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker : Now, the question is :

"That clauses 1, 2, 3 the Schedule, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill""

The motion was adopted.

Clauses 1, 2, 3, *the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

Shri P. C. Sethi : Sir, I move :

"That the Bill be passed."

Mr. Deputy-Speaker : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

19.09 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, May, 1, 1970/*Vaisakha* 11, 1892 (*Saka*).